(7)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–679/ 1657 रायपुर, दिनांक 31 /05/2018

प्रति,

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर

विषय: – **Diversion of Forest land for non-forest propose under forest Conservation Act, 1980 proposed for widening and Up-gradation of Chhuriya-Kallubanjari Road up to Maharashtra Border, area-8.543 ha.-regarding**

– Registration No. FP/CG/ROAD/24860/2017

संदर्भ: – छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 5–19/ 2018/ 10–2 दिनांक 08.05.2018

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा लेख किया गया है कि विषयांकित प्रकरण से संबंधित आवरण पत्र अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित है पत्र पूर्ण कर प्रेषित करें।

इस कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित प्रति ही प्रेषित की गई थी। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त आवरण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर पुनः प्रेषित है।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

(उप वन संरक्षक)
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
O/C छत्तीसगढ़

(8)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नया रायपुर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840
ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–679/1205 रायपुर, दिनांक 17/04/2018

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर

विषय: – **Diversion of Forest land for non-forest propose under forest Conservation Act, 1980 proposed for widening and Up-gradation of Chhuriya-Kallubanjari Road up to Maharashtra Border, area-8.543 ha.-regarding**
– Registration No. FP/CG/ROAD/24860/2017

संदर्भ: – मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक अधि/ 21/1962 दिनांक 05.03.2018

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

1. आवेदनकर्ता, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम, लि. रायपुर द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत छुरिया–कल्लू बंजारी महाराष्ट्र सीमा तक मार्ग उन्नयन हेतु 8.543 हे. वन भूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
2. आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू. 24,000/– जमा किया गया है।
3. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.5 तक है एवं आवेदित क्षेत्र में मिश्रित प्रजाति के 609 वृक्ष विद्यमान है। साईट क्वालिटी III है।
4. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का संबंधित वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार:–
   (i) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य (छुरिया–कल्लू बंजारी मार्ग उन्नयन) हेतु मांग की जा रही वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।
   (ii) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
5. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्रों के आस – पास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति न होने का प्रमाण पत्र वन मंडलाधिकारी का संलग्न है।
7. प्रस्तावित क्षेत्र 20.00 हे. से कम का होने से Cost Benefit Analysis आवश्यकता नहीं है।
8. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
9. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सेटलमेंट, धार्मिक स्थल) की सीमा से 10 कि.मी. के अंतर्गत नहीं है।
10. आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग नहीं है एवं आवेदित वन भूमि की सीमा से 10 कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। वन मंडलाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

10 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित नारंगी वन भूमि की वृक्षारोपण उपयुक्तता का वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव वन मंडल का प्रमाण पत्र एवं साथ ही इस दुगने नारंगी वन भूमि पर स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना 6,00,222/– प्रति हे. की दर से तैयार कर संलग्न है।

11. आवेदक द्वारा प्रकरण में प्रत्याशा मूल्य जमा करने हेतु वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

12. भारत सरकार के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भोपाल कार्यालय के पत्र क्रमांक 6-MPC013 / 2008 -BHO/ 357 दिनांक 24–02–2010 के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान दशा प्राकृतिक कारणों से है।

13. आवेदित क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तहत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित संबंधी प्रमाण पत्र कलेक्टर, राजनांदगांव द्वारा नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र में संलग्न है।

14. राजस्व वन भूमि संबंधित कलेक्टर, राजनांदगांव जिला का प्रमाण पत्र संलग्न है।

15. प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट www.forestclearances.nic.in पर अपलोड किया गया है। मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग का अनुशंसा पत्र प्रपत्र– 3 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा पत्र प्रपत्र–4 संलग्न है।

16. प्रस्तावित क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्य प्राणियों के Zoological Name की सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

17. प्रस्तावित क्षेत्र में पाये जाने वाले वृक्षों के Botanical Name की सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुशंसा उपरांत प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न है।

संलग्नः–प्रस्ताव 2 प्रतियों में।

16/4

(एस. एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 679/ 1206 रायपुर, दिनांक 17/04/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ ।
3. **प्रबंध संचालक**, छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लि., तिसरी मंजिल, सिरपुर भवन, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाईन, रायपुर।

16/4

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
O/C छत्तीसगढ़

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम, लि. रायपुर द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत छुरिया–कल्लू बंजारी महाराष्ट्र सीमा तक मार्ग उन्नयन हेतु 8.543 हे. वन भूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 16/04/2018
स्थानः रायपुर

(आर. के. सिंह)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर

10

TimeLine Details

Proposal received date at each stage of flow.

A. General Details

(i). **Proposal No.** : FP/CG/ROAD/24860/2017

(ii). **Name of Project for which Forest Land is required** : Chichola-Chhuriya-Kallubanjari Road

(iii). **Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required** : Upgradation and Widening to 2-Lane of Chhuriya-Kallubanjari road upto Maharashtra Border.

(iv). **State** : Chhattisgarh

(v). **Category of the Project** : Road

(vi). **Shape of forest land proposed to be diverted** : Linear

(vii). **Area of forest land proposed for diversion(in ha.)**: 8.543

B. Time Line

Proposal No.	Submitted by User Agency	Query for Shortcoming(if any) by Nodal Officer	Resubmission of Proposal by User Agency	Query by Nodal Officer for submitting Hard Copies	Uploading(by U.A.) of copies of receipt received from DFO & DC	Division	Circle	Nodal Office	State Government	Regional Office	Stage-I Approval on	Stage-II Approval on
FP/CG/ROAD/24860/2017	29/03/2017	09/05/2017 04/04/2017	23/05/2017 05/05/2017	01/06/2017	02/06/2017	**Rajnandgaon** :08/06/2017	**Durg** : 08/02/2018 **(Rajnandgaon)**	**Chhattisgarh** 05/03/2018	**Chhattisgarh**: 16/04/2018			

C. Essential Details Sought History

Communication between Regional Office & State Government	Communication between State Government & Nodal Officer	Communication between Nodal Officer & Circle	Communication between Circle & Division	Communication between Division & User Agency
		Query raised by Nodal Officer (Chhattisgarh) on:**09/03/2018** Replied by Circle(Durg) on:**26/03/2018**	Query raised by Circle (Durg) on:**16/03/2018** Replied by DFO (Rajnandgaon) on:**26/03/2018**	Query raised by DFO (Rajnandgaon) on:**05/07/2017** Replied by UA on :**03/02/2018**

NOTE:- Proposal is pending at **State Government**.

Print page

16/4

Addl.Principal Chief Conservator of Forests
(Land Management)
and
Nodal Officer - Forest Conservation Act
Chhattisgarh, Raipur